|

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, इटावा

पत्रांक 3184 /14–10–1 दिनॉक, इटावा, जनवरी, 18 , 2020

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबन्धक
घाटमपुर – आगरा ट्रांसमिशन लि0
644 व 644ए, कापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी
विकास नगर, कानपुर

विषयः– 765 के0वी0 एकल पथ घाटमपुर–आगरापारेषण लाइन के निर्माण हेतु कानपुर नगर वन प्रभाग में प्रभावित 0.47128 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 15 वृक्षों/पौधों के पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग में प्रभावित 0.12352 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 49 वृक्षों/पौधों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.1280 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, इटावा वन प्रभाग में प्रभावित 39.8541 हे0 आरक्षित एवं 0.1472 हे0 संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों/पौधों के पातन, फिरोजाबाद वन प्रभावित 32.8560 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा आगरा वन प्रभाग में प्रभावित 5.9191 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 38 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति अर्थात 79.4992 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं कुल बाधक 159 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः–
1–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/04/105 /2019/एफ0सी0/462 दिनांक 01.01.2020 एवं पत्रांक–8बी/यू0पी0/04/105/2019/एफ0सी0/474 दि0– 06.01.2020

2– प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर नगर का पत्रांक–2633/14–1 दि0–06.01.2019

3– प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर देहात का पत्रांक–2381/14–1 दि0–04.01.2019

4– प्रभागीय वनाधिकारी औरैया वन प्रभाग औरैया का पत्रांक–1912/14–1 दि0–10.01.2019

5– इस कार्यालय का पत्रांक–3027/14–1 दि0–04.01.2020

6– प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फिरोजाबाद का पत्रांक–1907/14–1 दि0–14.01.2019

7– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा का पत्रांक–3189/14–1 दि0–15.06.2019

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में विभिन्न जनपदों में प्रभावित आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तो के अनुपालन हेतु सलग्न सारणी के अनुसार धनराशि (E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर) एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्रों मूल हस्ताक्षरित 03–03 प्रतियों में रसीद सहित (आन–लाइन चालान की प्रति) उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक– यथोपरि

भवदीय

(राजेश सिंह वर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा

पत्रांक /समदिनांकित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– वन संरक्षक, आगरा वृत्त आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, फिरोजाबाद एवं आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक– यथोपरि

(राजेश सिंह वर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा

Scanned by CamScanner

ABSTRACT OF NET PRESENT VALUE FOR DIVERSION OF 79.4992 HA. OF FOREST LAND PROPOSED TO BE DIVERTED FOR CONSTRUCTION OF GHATAMPUR- AGRA 765 KV S/C TRANSMISSION LINE

S. No.	Name of Forest Division	NPV CALCULATION & OUTLAY					CALCULATION & OUTLAY @1100 PLANTS/ HECTARE		
		Area Prposed for diversion in Ha.	Tree Density on the Forest Land Proposed for diversion	ECO-CLASS	Rate of NPV/ Hectare for the respective Eco-Class of Forest in Rs.	NPV Amount in Rs.	Area Proposed for Afforestation in Ha.	Rate of C.A./ Hectare in Rs.	Compensatory Afforestation Amount in Rs.
1	Social Forestry Division Kanpur Nagar	0.47128	0.1	III	6,26,000	295021	0.9426	2,63,332.4	248209
2	Forest Division Kanpur Dehat	0.12352	0.1	III	6,26,000	77325	0.2500	2,63,332	65831
3	Forest Division Auraiya	0.128	0.1	III	6,26,000	80128	0.2560	2,63,324	67411
4	Social Forestry Division Etawah	40.0013	0.1	III	6,26,000	25040814	80.0026	1,80,345	14428078
5	Social Forestry Division Firozabad	32.856	0.1	III	6,26,000	20567856	65.7106	1,37,636	9044142.61
6	Social Forestry Division Agra	5.9191	0.1	III	6,26,000	3705357	11.8400	12,88,176.943	15252015
		79.4992				49766501	159.0018		39105686.61

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

Scanned by CamScanner

ABSTRACT OF MEDICINAL PLANTATION SCHEME TO BE CARRIED OUT FOR DIVERSION OF 79.4992 HA. OF FOREST LAND PROPOSED TO BE DIVERTED FOR CONSTRUCTION OF GHATAMPUR- AGRA 765 KV S/C TRANSMISSION LINE

S. No.	Name of Forest Division	Area Prposed for diversion in Ha.	Dwarf Medicinal Plantation Amount in Rs.
1	Social Forestry Division Kanpur Nagar	0.47128	140752
2	Forest Division Kanpur Dehat	0.12352	36890
3	Forest Division Auraiya	0.128	38228
4	Social Forestry Division Etawah	40.0013	5407757
5	Social Forestry Division Firozabad	32.856	2770213
6	Social Forestry Division Agra	5.9191	2769739
		79.4992	11163579

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कानपुर

पत्रांक 2633/141 दिनॉक, कानपुर, ~~जून~~ 06-01- 2020

सेवा में,

अधिकृत प्रतिनिधि
घाटमपुर ट्रांसमिशन लि0
म0नं0 644 व 644ए, लखनपुर
विकास नगर, कानपुर

विषयः— 765 के0वी0 एकल पथ घाटमपुर—आगरा पारेषण लाइन के निर्माण हेतु कानपुर नगर वन प्रभाग में प्रभावित 0.47128 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 15 वृक्षों/पौधों के पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग में प्रभावित 0.12352 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 49 वृक्षों/पौधों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.1280 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, इटावा वन प्रभाग में प्रभावित 39.8541 हे0 आरक्षित एवं 0.1472 हे0 संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों/पौधों के पातन, फिरोजाबाद वन प्रभावित 32.8560 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा आगरा वन प्रभाग में प्रभावित 5.9191 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 38 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति अर्थात 79.4992 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं कुल बाधक 159 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या—8बी/यू0पी0/04/105/2019/एफ0सी0/462 दिनांक 01.01.2020 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में जनपद कानपुर नगर की प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तो के अनुपालन हेतु बिन्दुवार निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर) एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र की मूल हस्ताक्षरित 03--03 प्रतियों सहित रसीद (आन—लाइन चालान की प्रति) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. **बिन्दु संख्या—1** के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही संरक्षित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
2. **बिन्दु संख्या—2** के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
3. **बिन्दु संख्या—3** के अनुसार कानपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत परियोजना में प्रभावित हो रही 0.47128 हे0 संरक्षित वन भूमि के दोगुने क्षेत्रफल अर्थात 0.94256 हे0 में दस वर्षो तक रखरखाव सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 2,48,209/—(रू0 दो लाख अड़तालीस हजार दो सौ नौ मात्र) एवं परियोजना में प्रभावित हो रही 0.47128 हे0 संरक्षित वन भूमि पर लाइन के नीचे बौने/औषधीय पौधा रोपण हेतु दस वर्षो तक रखरखाव सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये रू0 1,40,752/— (रू0 एक लाख चालीस हजार सात सौ बावन मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन—लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4. **बिन्दु संख्या—4** का अनुपालन किये जाने हेतु प्रश्नगत प्रकरण में प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जायेगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
5. **बिन्दु संख्या—5** के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 0.47128 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) रू0 2,95,021/— (दो लाख पंचानवे हजार इक्कीस मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (आन—लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

6. **बिन्दु संख्या–6** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि एन0पी0वी0 की धनराशि में यदि बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

उपरोक्त सभी शर्तो के अतिरिक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित सभी शर्तो (क्रम संख्या 01 से 25 तक) के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या/बचनबद्धता प्रमाण पत्र तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक– यथोपरि

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

पत्रांक /समदिनांकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

OLC

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात

पत्राँक /14-1 दिनाँक, कानपुर देहात, जनवरी, 04 2020

सेवा में,

अधिकृत प्रतिनिधि
घाटमपुर ट्रांसमिशन लि0
म0नं0 644 व 644ए, लखनपुर
विकास नगर, कानपुर

विषयः— 765 के0वी0 एकल पथ घाटमपुर—आगरा पारेषण लाइन के निर्माण हेतु कानपुर नगर वन प्रभाग में प्रभावित 0.47128 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 15 वृक्षों/पौधों के पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग में प्रभावित 0.12352 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 49 वृक्षों/पौधों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.1280 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, इटावा वन प्रभाग में प्रभावित 39.8541 हे0 आरक्षित एवं 0.1472 हे0 संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों/पौधों के पातन, फिरोजाबाद वन प्रभावित 32.8560 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा आगरा वन प्रभाग में प्रभावित 5.9191 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 38 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति अर्थात 79.4992 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं कुल बाधक 159 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या—8बी/यू0पी0/04/105/2019/एफ0सी0/462 दिनांक 01.01.2020 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में जनपद कानपुर देहात की प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन हेतु बिन्दुवार निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर) एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र की मूल हस्ताक्षरित 03—03 प्रतियों सहित रसीद (आन—लाइन चालान की प्रति) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- **बिन्दु संख्या—1** के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही संरक्षित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- **बिन्दु संख्या—2** के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- **बिन्दु संख्या--3** के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 0.12352 हे0 संरक्षित वन भूमि के दोगुने क्षेत्रफल अर्थात 0.2500 हे0 (बीहड़ भूमि) में दस वर्षो तक रखरखाव सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 65,831/— (पैंसठ हजार आठ सौ इकत्तीस मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन—लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- **बिन्दु संख्या—3** के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 0.12352 हे0 संरक्षित वन भूमि पर लाइन के नीचे बौने/औषधीय पौधा रोपण हेतु दस वर्षो तक रखरखाव सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये रू0 36,890/— (छत्तीस हजार आठ सौ नब्बे मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन—लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध कराय
- **बिन्दु संख्या—4** के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 0.12352 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) रू0 77,325/— (ससत्तर हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (आन—लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें तथा प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि एन0पी0वी0 की धनराशि में यदि बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
- **बिन्दु संख्या—5** के अनुसार क्षतिपूरक, एन0पी0वी0 व अन्य वांछित धनराशि (मदवार विवरण सहित) E-Payment Portal के माध्यम से जमा कराकर रसीद (आन—लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- **बिन्दु संख्या—6** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि उनके द्वारा पक्षियों के बचाव के लिए bird deflector उपलब्ध करवाया जाएगा जिसे पारेषण लाईन upper conductor पर स्थापित किया जाएगा।
- **बिन्दु संख्या—7** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि उनके द्वारा मंत्रालय के पत्रांक 7—25/2012—एफ.सी दिनांक 05.05.2014 द्वारा जारी किए गए दिशा—निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
- **बिन्दु संख्या—8** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें प्रस्ताव में दिये गये ले—आउट मैप में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- **बिन्दु संख्या—9** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि परियोजना से संबधित समान ढुलाई के लिए एवं अन्य प्रयोजन के लिए अतिरिक्त मार्ग निर्माण नहीं किया जाएगा।

- **बिन्दु संख्या–10** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि पारेषण लाईन का संरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो।
- **बिन्दु संख्या–11** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि पारेषण लाईन के लिये राइट ऑफ वे (Right Of Way) की चौड़ाई 46 मीटर तक सीमित रहेगी।
- **बिन्दु संख्या–12** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि पारेषण लाईन के लिये राइट ऑफ वे (Right Of Way) की चौड़ाई 46 मीटर तक सीमित रहेगी।
- **बिन्दु संख्या–13** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जाएगी।
- **बिन्दु संख्या–14** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि प्रस्तावित वनभुमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/ पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
- **बिन्दु संख्या–15** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि प्रत्यावर्ति वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- **बिन्दु संख्या–16** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि निमार्ण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/ स्टाफ को रसोई गैस/ किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।
- **बिन्दु संख्या–17** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/ स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- **बिन्दु संख्या–18** का अनुपालन किये जाने हेतु प्रश्नगत प्रकरण में प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। प्रत्येक पिलर पर कमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पिलर से दूरी दर्शायी जायेगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- **बिन्दु संख्या–19** प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित प्रकरण में किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नही किया जाएगा के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- **बिन्दु संख्या–20** प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करेगें।

उपरोक्त सभी शर्तो के अतिरिक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(डा0 ललित कुमार गिरि)
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

पत्रांक 2381 /समदिनांकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–प्रभागीय निदेशक/नोडल अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

08/1/2020

संप्रेक्षक,
कार्यालय
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ

(डा0 ललित कुमार गिरि)
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया।

पत्रॉक 1912 /14–10–1 दिनॉक, औरैया, जनवरी, 18, 2020

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबन्धक,
घाटमपुर आगरा ट्रान्समिशन लाइन
कापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विकास नगर, कानपुर

विषयः– Proposal For Diversion of Forest Land For Construction of 765 KV S/C Ghatampur-Agra Transmission line Passing Through Reserve forest land in Etawah, Firozabad & Agra District and Protected forest land in Crossing NH-86 at km 57-1447, SH-46 at km 24.487, Etawah Branch of Lower Ganga Canal in Kanpur Nagar, NH-25 at KM 1559.650 in Kanpur Dehat, SH-21 in Auraiya & Lower Ganga Canal in Etawah.

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ की पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/04/105/एफ0सी0/462 दिं0 01.01.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि औरैया वन प्रभाग में 765 के0वी0 एच0सी0 घाटमपुर–आगरा ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण कार्य हेतु परियोजना में औरैया वन प्रभाग की 0.128 हे0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। उक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा आपको विषयगत प्रस्ताव मे आपको विभिन्न शर्तो के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त शर्तो की अनुपालन आख्या आप द्वारा दी जानी है। अतः आप निम्नानुसार धनराशि वन विभाग के पक्ष में एडहाक कैम्पा के माध्यम से जमा कराने का कष्ट करें।

शर्त संख्या–4:– शर्त संख्या–4 के अनुसार प्रस्ताव में प्रभावित 0.128 हे0 वनभूमि सापेक्ष 0.256 हे0 वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि व उसके 10 वर्षो अनुरक्षण के रूप में **67411.00 (रू0 सरसठ हजार चार सौ ग्यारह मात्र)** जमा करना होगा एवं पारेषण लाइन के नीचे बौनै औषधीय पौधों के रोपण हेतु **38228.00 (रू0 अड़तीस हजार दो सौ अट्ठाईस मात्र)** जमा करना होगा।

शर्त संख्या–5:– शर्त संख्या–5 के अनुसार प्रस्ताव में प्रभावित 0.128 हे0 वनभूमि के एन0पी0वी0 की धनराशि के रूप में **80128.00(रू0 अस्सी हजार एक सौ अट्ठाईस मात्र)** जमा करना होगा। यदि एन0पी0वी0 की दरों में वृद्धि होती हैं, तद्नुसार बढ़ी दरों से भुगतान करना होगा।

अतः आप उक्त धनराशि जमा करने के उपरान्त उसकी रसीद की प्रति एवं अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(सुंदरेशा)
प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग,औरैया।

पत्रांक / समदिनांकित

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर को उपरोक्त सम्बन्धित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुंदरेशा)
प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग, औरैया

Jan./2020.

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग इटावा

पत्रांक 3027 /14–10–1 दिनांक इटावा, जनवरी, 04 ,2020

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबन्धक,
घाटमपुर आगरा ट्रान्समिशन लाइन
कापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विकास नगर कानपुर

विषयः– **Proposal For Diviersion of forest Land For Construction of 765 KV S/C Ghatampur-Agra Transmission Line Passing Through Reserve Forest Land in Etawah, Firozabad & Agra Districts and Protected Forest Land in Crossing NH-86 at km 57-1447, SH-46 at km 24,487, Etawah-Branch of Lower Ganga Canal in Kanpur Nagar-25 at km. 1559.650 in Kanpur Dehat, SH-21 in Auraiya & Lower Ganga Canal in Etawah.**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू.पी./04/105/एफ.सी./462 दि0–01.01.2020 25040814

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पंत्र के क्रम में अवगत कराना है कि इटावा वन प्रभाग में 765 के0वी0एस0सी0 घाटमपुर–आगरा ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण कार्य हेतु परियोजना में इटावा वन प्रभाग की 40.0013 हे0 आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही हैं। उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा आपको विषयगत प्रस्ताव में आपको विभिन्न शर्तो के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त शर्तो की अनुपालन आख्या आप द्वारा दी जानी है। अतः आप निम्नानुसार धनराशि वन विभाग के पक्ष में एड हाक कैम्पा के माध्यम से जमा कराने का कष्ट करें।

शर्त संख्या–4– शर्त संख्या–4 के अनुसार प्रस्ताव में प्रभावित **40.0013 हे0** वन भूमि के सापेक्ष 80.0026 हे0 वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि व उसके दस वर्षो के अनुरक्षण के रूप में **14428078.00 (शब्दो में–एक करोड चवालीस लाख अठठाइस हजार अठत्तर रूपये)** जमा करना होगा एवं पारेषण लाइन के नीचे बौने औषधीय पौधों के रोपण हेतु **5407757.00 (चौवन लाख सात हजार सात सौ सत्तावन रूपये मात्र)** जमा करना होगा।

शर्त संख्या–5– शर्त संख्या–5 के अनुसार प्रस्ताव में प्रभावित 40.0013 हे0 वन भूमि के एन0पी0वी0 की धनराशि के रूप में 25040814.00 **(शब्दो में –दो करोड पचास लाख चालीस हजार आठ सौ चौदह रूपये)** जमा करना होगा। यदि एन0पी0वी0 की दरों में वृद्धि होती है तदानुसार बढी हुई दरो से भुगतान करना होगा।

अतः आप उक्त धनराशि जमा करने के उपरान्त उसकी रसीद की प्रति एवं अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने कष्ट करें जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक–संदर्भित पंत्र

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

पत्रांक /समदिनांकित

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल कानपुर को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरेया, फिरोजाबाद एवं आगरा को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि आप उक्त प्रकरण में धनराशि मांग पत्र जारी करने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद

पत्रांक 1907/14-1 दिनांकः फिरोजाबादः जनवरी 14 2020.

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबन्धक,
घाटमपुर ट्रान्समिशन लि0
644/644 ए0 लखनपुर कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी विकास नगर,
लखनऊ।

विषय— 765 के0वी0 एकल परिपथ घाटमपुर–आगरा पारेषण लाइन के निर्माण हेतु फिरोजाबाद वन प्रभाग मे प्रभावित 32.8560 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ— भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ की पत्र सं0– 8बी/यू0पी0/04/105/2019/एफ0सी0/474 दि0 06.01.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम मे भारत सरकार की निरूपित शर्तों के अनुसार निम्नप्रकार धनराशि जमा करके समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का कष्ट करें :–

<table>
<tr><th>शर्त सं0</th><th>शर्त का विवरण</th><th>अनुपालन आख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–1</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–2</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–3</td><td>क्षतिपूरक वनीकरण हेतु निम्नविरण के अनुसार कैम्पा एडहॉक खाता सं0– 520101263743493 Corporation Bank, Lodhi Comlex Branch ground floor Block No.11 CGO Complex, Lodhi road New Delhi.में धनराशि ऑन लाइन जमा कर रसीद इदस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>क्षेत्र का विवरण</th><th>क्षेत्रफल हे0 में</th><th>धनराशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>उरावर वन ब्लाक</td><td>11.8719</td><td>1634471</td></tr>
<tr><td>2</td><td>फरौल नगरिया वन ब्लाक</td><td>4.6788</td><td>681801</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ततारपुर वन ब्लाक</td><td>10.800</td><td>1512947</td></tr>
<tr><td>4</td><td>मुबारकपुर वन ब्लाक</td><td>10.2047</td><td>1445263</td></tr>
<tr><td>5</td><td>शेखूपुर गढी वनब्लाक</td><td>16.3929</td><td>2147561</td></tr>
<tr><td>6</td><td>पुनिच्छा वन ब्लाक</td><td>11.7623</td><td>1622096</td></tr>
<tr><td></td><td>योग–</td><td></td><td>9044139</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–4</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–5</td><td>शर्तानुसार वन भूमि हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) निम्नप्रकार है यह धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु निम्नविरण के अनुसार कैम्पा एडहॉक खाता सं0– 520101263743493 Corporation Bank, Lodhi Comlex Branch ground floor Block No.11 CGO Complex, Lodhi road New Delhi. .में धनराशि ऑन लाइन जमा कर रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>भूमि का क्षेत्रफल हे0 में</th><th>एन0पी0वी0 की दर</th><th>धनराशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>32.8560</td><td>626000</td><td>20567856.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–6</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–7</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।</td></tr>
</table>

		करेंगे।
8	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
9	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–9	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
10	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–10	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
11	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–11	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
12	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 21.02784 हे0 भूमि पर बौने (औषधि) पौधों के रोपण हेतु रू0 2770213.36 की धनराशि ऑन लाइन चालान जेनरेट कर जमा कर रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें
13	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–13	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
14	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–14	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
15	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–15	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
16	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–16	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
17	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–17	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
18	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–18	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
19	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–19	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
20	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–20	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
21	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–21	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
22	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–22	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
23	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–23	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
24	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–24	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
25	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–25	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि– नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद

Email id-dfoagra@gmail.com
Ph No.-0562-2331297

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक: 3189 / 141 आगरा : दिनांक : 15, जनवरी, 2020

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबन्धक
घाटमपुर पारेषण लाईन
644/844,ए कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी
विकास नगर, कानपुर।

विषय : 765 के0वी0 एकल पथ घाटमपुर–आगरा पारेषण लाईन के निर्माण हेतु आगरा वन प्रभाग में प्रभावित 5.9191 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 38 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र संख्या–8बी/यू.पी./04/105/2019/एफ.सी./462 दिनांक 01.01.2020 एवं नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–11सी–1329 दिनांक 03.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो अद्योहस्ताक्षरी के साथ आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में कुछ शर्तों के साथ सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

अतः शर्तों का अनुपालन आप निम्न प्रकार करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

1. प्रयोक्ता द्वारा इस आशय की बचनबद्वता प्रेषित करनी होगी कि वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता द्वारा इस आशय की बचनबद्वता प्रेषित करनी होगी कि प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों का पातन मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बिना पातन नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि 5.9191 हे0 के दुगने अवनत वनभूमि पर रोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आवश्यक धनराशि रू0 15252015.00 ऑन लाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा करायें तथा चालान की प्रति एवं पेमेन्ट हिस्ट्री इस कार्यालय को प्रेषित करें।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 3705357.00 ऑन लाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली मे जमा करायें तथा चालान की प्रति एवं पेमेन्ट हिस्ट्री इस कार्यालय को प्रेषित करें।
5. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता द्वारा जमा की जायेगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि प्रस्तावित स्थल पर न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रमाण पत्र के क्रम में वन अधिकार अधिनियम–2006 जिलाधिकारी आगरा द्वारा निर्गत इस कार्यालय में जमा कराना होगा।
8. प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि पर्यावरणीय अनुमति (यदि आवश्यक है) तो इस कार्यालय को जमा करनी होगी।

Email ld-dfoagra@gmail.com
Ph No.-0562-2331297

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में पारेषण लाइन के नीचे औषधीय पौधों के रोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि रू0 2769738.00 ऑन लाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा करायें तथा चालान की प्रति एवं पेमेन्ट हिस्ट्री इस कार्यालय को प्रेषित करें।
10. प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि स्वीकृत ले आउट प्लान में कोई परिवर्तन बिना अनुमति के नहीं किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि आरक्षित/संरक्षित वन भूमि में मजदूरों द्वारा कोई कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
12. प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि अपयोजित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा और नहीं किसी एजेंसी को हस्तान्तरित किया जायेगा।
13. प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि राज्य सरकार तथा भारत सरकार के वर्तमान तथा भविष्य में लागू समस्त नियमों का पालन किया जायेगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
15. प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निकटतम क्षेत्रों में वन एवं वन्य प्राणी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
16. प्रयोक्ता द्वारा उक्त की अनुपालन आख्या ऑन लाइन पोर्टल पर अपलोड करने के उपरान्त हार्डकापी में अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करनी होगी।

भवदीय

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।